कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री श्याम सुन्दर सैनी का पदस्थापन विभागीय पदोन्नति समिति से चयनोपरांत आदेश क्रमांक का पदस्थापन व्या0 इतिहास के पद पर आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/इतिहास/डीपीसी–पदस्थापन/2018–19 दिनांक 07.06.2018 द्वारा राउमावि सतवाड़ी पहाड़ी–भरतपुर में व्या0 इतिहास के पद पर किया गया। श्याम सुन्दर सैनी ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 14386/2018 दायर की। याची ने अपनी याचिका में कहा कि उसका पदस्थापन उसके निवास स्थान से 100 किमी दूरी पर हैं। मेरे छोटे–छोटे बच्चें है तथा मां–बाप बूढ़े है। मेरा पदस्थापन स्थान दूर होने के कारण मैं अपने वृद्व एवं बीमार मां–बाप की देखभाल नही कर सकता। मेरे अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला कोई नही है। अतः मेरा पदस्थापन नजदीक में किसी रिक्त पद पर किया जाना चाहिए। मााननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अपार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण करने का आदेश दिया है। अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन, मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन कांउसलिंग द्वारा किया गया जिसमें याची को उसकी श्रेणी के अनुसार कांउसलिंग की वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए पदस्थापन स्थान के चयन का अवसर दिया गया। कांउसलिंग के लिए रिक्त पदों का निर्धारण विभाग की प्राथमिकतानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जाता है। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है, अतः व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। जहां तक रूपलता मीणा का प्रकरण है तृतीय श्रेणी अध्यापक से संबंधित है अतः इस प्रकरण से भिन्न हैं याची का पदस्थापन उसकी सहमति के अनुसार किया गया है। याची द्वारा उक्त विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया गया हैं। इस प्रकार याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 14386/2018/श्याम सुन्दर सैनी/ दिनांक– 21/8/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि)जयपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री विद्या प्रकाश मीणा व्याख्याता (वाणिज्य) का स्थानान्तरण आदेश क्रमांकः शिविरा–मा/ संस्था/ सी–2/स्थानान्तरण/वाणिज्य–इतिहास/2018 दिनांक 18.06.2018 द्वारा राउमावि हस्तेड़ा गोविंदगढ़–जयपुर से राउमावि गोठरा–भूकरान–धोद–सीकर किया गया। विद्या प्रकाश मीणा ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अधिकरण में अपील संख्या 1824/2018 दायर की। अपीलार्थी ने कहा कि वह और उसकी माता दोनो हृदय रोग से पीड़ित है अपीलार्थी का कॉलेस्ट्रोल अधिकता, स्वास्थ्य एवं प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के स्वयं के प्रार्थना पत्र के पर स्थानान्तरण/पदस्थापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया।

माननीय सिविल सेवा अधिकरण ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अपार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण करने का आदेश दिया है। अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन, मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची स्वंय हृदय रोग से पीड़ित है तथा अपीलार्थी की माताजी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। जिसकी जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। अतः अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपीलार्थी का संशोधित स्थानान्तरण राउमावि बड़नगर–जयपुर कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 1824/2018/विद्या प्रकाश मीणा/ दिनांक–21/8/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि)जयपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री यादराम मीणा का स्थानान्तरण आदेश क्रमांकः शिविरा– मा/ संस्था/ सी–2/ स्थानान्तरण/ वाणिज्य–इतिहास/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा राउमावि पिनान रैणी (अलवर) से राउमावि सतवाड़ी–भरतपुर किया गया। यादराम मीणा ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 12134/2018 दायर की। याची ने कहा कि उसे 02 वर्ष भी नही हुए और इस अवधि में उसका स्थानान्तरण कर दिया हैं उसकी माताजी ह्दयाघात से पीड़ित है तथा पिताजी का देहान्त हो चुका है। अतः उसका स्थानान्तरण निरस्त किया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अपार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण करने का आदेश दिया है। अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन, मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधर पर किया गया। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है, अतः व्याख्याता का स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। याची का स्थानान्तरण विभाग की आवश्यकतानुसार किया गया। इस प्रकार याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 12134 /2018/यादराम मीणा/ दिनांक– 21/8/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि)जयपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर